उत्तर प्रदेश शासन

पर्यटन अनुभाग

संख्या-05/2020/4119/41-2019-07(बजट)/2019

लखनऊ दिनांक 06 जनवरी, 2020

संख्या-275/2019/3464/41-2019-07(बजट)/2019 दिनांक 06 दिसम्बर, 2019

का शुद्धि पत्र

जनपद मथुरा के ग्राम सभा सांचौली विकास खण्ड नन्दगांव स्थित चन्द्रकुण्ड मथुरा के सौन्दर्यीकरण/जीर्णोद्धार के कार्य कराये जाने हेतु अवशेष वित्तीय स्वीकृति हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-275/2019/3464/41-2019-07(बजट)/2019 दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 के पृष्ठांकन के **क्रम सं0-4** में त्रुटिवस **मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ** अंकित किया गया है**,** जबकि इसके स्थान पर **मुख्य कोषाधिकारी, मथुरा** अंकित होना चाहिए था।

2. अत: शासनादेश संख्या-275/2019/3464/41-2019-07(बजट)/2019 दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 के पृष्ठांकन के **क्रम सं0-4** पर अंकित **मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ** के स्थान पर **मुख्य कोषाधिकारी, मथुरा** अंकित किया जाता है। तद्नुसार उक्त शासनादेश दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। शासनादेश में अंकित अन्य शर्तें एवं उपबन्ध यथावत रहेंगे।

ए0पी0 सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-05/2020/4119(1)/41-2019-07(बजट)/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, मथुरा।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, मथुरा।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
8- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
10- परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, यूनिट-32 अलीगढ़ ।
11- उप निदेशक, पर्यटन, आगरा।
12- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
13 गार्ड-फाइल।

आज्ञा से

(ए0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.nic.in